361

469

विलोपित / विलोपित

न्यायालय श्रीमान् मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा

(म0 प्र0)

विलोपित / विलोपित

श्रीमती तारा तिवारी पत्नी शंकर प्रसाद तिवारी उम्र 50 वर्ष पेशा अध्यापिका निवासी ग्राम हिंड़वार थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।

——— निगरानी कर्ता

बनाम

श्रीनिवास द्विवेदी तनय राम निहोर द्विवेदी उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम ढखरा थाना मऊगंज तहसील हनुमना जिला रीवा (म0 प्र0)।

——— गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय मऊगंज (श्री राजेन्द्र कोरी) जिला रीवा के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 113(अ. 12) 2016–2017 श्री निवास बनाम शासन मध्य प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

संक्षिप्त बिवरण :–

निगरानी कर्ता एवं गैर निगरानी कर्ता द्वारा ग्राम घुरेहटा कला पटवारी हल्का घुरेहटा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0 में स्थित भूमि मूल खसरा क्रमांक 864 / 4 / 1 / क के भूमिस्वामी कामता प्रसाद से 3–3 डि0

361

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक [illegible]/निग0/रीवा/भू–रा0/2018/1635 जिला–रीवा

श्रीमती तारा/श्रीनिवास द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 113/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	